क्रम-संख्या–178(क–1)

रजिस्ट्रेशननम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्सटूपोस्ट ऐटकन्सेशनलरेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 21 मई, 2026
बैशाख 31, 1948 शक सम्वत्

### ऊर्जा विभाग

### ऊर्जा (नि0नि0) प्रकोष्ठ

### उत्तर प्रदेश विद्युत नियोग, लखनऊ

संख्या यूपीईआरसी / सचिव / कार्मिक 2026–016

लखनऊ, 21 मई, 2026

अधिसूचना

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 91 तथा 181 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये तथा प्रदेश सरकार की अनुरूपता में उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग अधिसूचना संख्या उप्रविनिआ / सचिव कार्मिक / 2004– 4278, दिनांक 8 दिसम्बर, 2004 द्वारा अधिसूचित उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कार्मिकों की भर्ती, नियंत्रण तथा सेवा शर्तें) विनियमावली, 2004 को संशोधित करते हैं।

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कार्मिकों की भर्ती, नियंत्रण तथा सेवा शर्तें)
(तृतीय संशोधन) विनियमावली, 2026

**1–संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ–**

(अ) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कार्मिकों की भर्ती, नियंत्रण तथा सेवा शर्तें) (तृतीय संशोधन) विनियमावली, 2026 कहलायेगी।

(ब) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश के गज़ट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

**2–संशोधन–**

(अ) अध्याय–तीन 'भर्ती और नियुक्ति की प्रक्रिया' के अन्त में निम्न जोड़ा जायेगा–

सरकारी सेवकों की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों को तात्कालिक आर्थिक संकट से उबारने हेतु ''उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974'' (यथासंशोधित) निर्गत की गयी है। इस नियमावली में अब तक तेरह संशोधन किये गये हैं। पुत्रियों के संबंध में अधिसूचना दिनांक 12 नवम्बर, 2021 द्वारा उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (बारहवाँ संशोधन) नियमावली, 2021 निर्गत की गयी है। अतएव उक्त के दृष्टिगत निम्नवत प्राविधान इस शर्त के साथ विनियमावली 2004 में जोड़ा जाता है कि सेवायोजित कार्मिकों की प्रास्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा:–

'आयोग के नियमित कर्मियों के मृतक आश्रितों को सेवायोजन दिये जाने के लिये ''उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974'' (यथासंशोधित) के प्रावधान प्रभावी होंगे।'

(ब) अध्याय–तीन में उपशीर्षक 'पात्रता मानक' को निम्नवत संशोधित किया गया :

| वर्तमान नियम | संशोधित नियम |
|---|---|
| 'पात्रता मानक'<br>विभिन्न पदों पर भर्ती के लिये विहित पात्रता मानक अनुलग्नक–एक में इंगित हैं। आयोग राज्य सरकार के परामर्श से समय-समय पर अपनी आवश्यकतानुसार पदों में नियुक्ति के पात्रता मानकों में छूट दे सकता है। किसी पद की क्रियात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव का निर्धारण किया जायेगा। | 'पात्रता मानक'<br>(क) विभिन्न पदों पर भर्ती के लिये विहित पात्रता मानक अनुलग्नक–एक में इंगित हैं। आयोग राज्य सरकार के परामर्श से समय-समय पर अपनी आवश्यकतानुसार पदों में नियुक्ति के पात्रता मानकों में छूट दे सकता है। किसी पद की क्रियात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव का निर्धारण किया जायेगा।<br>(ख) समूह 'ग' की सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा :<br>समूह 'ग' की सीधी भर्ती हेतु आयु सम्बन्धी अर्हतायें वही होंगी जो उक्त पद से सम्बन्धित राज्य सरकार की सेवा नियमावली में विहित हों। |

(स) अध्याय–तीन में परिवीक्षा उप शीर्षक के अन्तर्गत वर्णित प्रावधान को निम्नवत प्रतिस्थापित किया गया:–

कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 (यथासंशोधित) प्रभावी होगी।

(द) विनियमावली 2004 के अनुलग्नक–1 की तालिका के बिन्दु 6 पर अंकित संयुक्त निदेशक (थोक एवं फुटकर प्रशुल्क) के पद की चयन की अर्हताओं को निम्नवत संशोधित किया गया :

| वर्तमान नियम | संशोधित नियम |
|---|---|
| अभियांत्रिकी स्नातक के साथ विद्युत उत्पादन, पारेषण या वितरण में विहित अर्हक योग्यता के उपरान्त 10 वर्ष का अनुभव। प्रबन्धन/कास्टिंग/लेखाविधि में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा तथा सार्वजनिक यूटिलिटीज में प्रशुल्क निर्धारण का अनुभव वांछनीय होगा। | अभियांत्रिकी स्नातक के साथ विद्युत उत्पादन, पारेषण या वितरण में विहित अर्हक योग्यता के उपरान्त 10 वर्ष का अनुभव जिसमें 5 वर्ष का अनुभव सार्वजनिक यूटिलिटीज के प्रशुल्क निर्धारण का,<br>अथवा<br>प्रबन्धन/कास्टिंग/लेखाविधि में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा/चार्टर्ड एकाउंटेंट/कॉस्ट एण्ड मैनेजमेंट एकाउंटेंट में विहित अर्हक योग्यता के उपरान्त 10 वर्ष जिसमें 5 वर्ष का सार्वजनिक यूटिलिटीज के प्रशुल्क निर्धारण का अनुभव। |

आयोग की आज्ञा से,

सुमीत कुमार अग्रवाल,

सचिव।

---

No. UPERC/Secy.Karmik/2026-016

*Dated Lucknow, May* 21, 2026.

In exercise of powers conferred by Section 91 and Section 181 of the Electricity Act, 2003, the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission in conformity with the State Government does hereby make the following regulations to amend the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Recruitment Control and Service Conditions of Staff) Regulations, 2004 notified *vide* notification no. UPERC/Secy./SR/2004-4278, dated December 8, 2004:

**1. Short title and commencement-**

(a) These Regulations may be called Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Recruitment Control and Service Condition of Staff) (Third Amendment) Regulations, 2026.

(b) These Regulations shall come into force *w.e.f.* the date of publication in the State *Gazette*.

**2. Amendment-**

(a) In the end of Chapter-III, 'Procedure *for* Recruitment and Appointment' the following will be *inserted*:

The Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974 (as amended) have been issued to rescue many dependents of government servants from the immediate financial crisis due to their death while in service. Thirteen amendments have been made in these rules so far. Regarding daughters, The Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness Rules 2021 (Twelfth Amendment) have been issued *vide* notification dated November 12, 2021. Therefore, in the light of above, following is added with the condition that there will be no change in the status of the employed personnel: -

'Provisions relating to "Uttar Pradesh Recruitment of Dependent of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974" (As amended) will be applicable in the case of dependents of the regular employees of the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission.'

(b) The sub-head 'Eligibility Criterion' of Chapter III is amended as follows :

| *Existing Regulation* | *Amended Regulation* |
|---|---|
| **Eligibility Criterion :**<br>The prescribed eligibility criteria for recruitment of deferent posts are indicated in appendix - I. The Commission, in consultation with the State Government, may from time to time amend the prescribed eligibility criterion for recruitment to different post to best meet its requirements. The minimum education qualification and nature of experience will be determined with regard to the functional requirements for a post. | **Eligibility Criterion :**<br>(a) The prescribed eligibility criteria for recruitment of deferent posts are indicated in appendix - I. The Commission, in consultation with the State Government, may from time to time amend the prescribed eligibility criterion for recruitment to different post to best meet its requirements. The minimum education qualification and nature of experience will be determined with regard to the functional requirements for a post.<br>(b) Age limit for direct recruitment of Group C –<br>Age-related eligibility criteria will be the same as provided in the State Government Rules for a particular similar post. |

(c) The sub-head 'Probation' of Chapter III is amended as follows:

'Provisions regarding the Probation will be applicable as per the provisions provided in the Uttar Pradesh Government Servant Probation Rules, 2013 (as amended) issued by the Personnel Department.'

(d) In the table of Appendix-I, point no. 6, 'Joint Director (Bulk Supply & Retail Tariff)' is amended as follows:

| *Existing Regulation* | *Amended Regulation* |
|---|---|
| **Minimum Qualifications and Experience:**<br>Engineering Degree with 10 years' experience subsequent to qualifying degree in (as specified) the required specialization of Generation, Transmission or Distribution of electricity. Post-graduate degree/diploma in Management/Costing/Accountancy along with experience in the development of tariffs of public utilities, would be desirable. | **Minimum Qualifications and Experience:**<br>Engineering Degree with 10 years' experience subsequent to qualifying degree in (as specified) the required specialization of Generation, Transmission or Distribution of electricity including 5 years' experience in the development of tariffs of public utilities<br>Or<br>Charted Accountant/Cost & Management Accountant/post-graduate degree/diploma in Management/Costing/Accountancy with 10 years' experience including 5 years' experience in the development of tariffs of public utilities. |

By order of the commission,

SUMEET KUMAR AGARWAL,

*Sachiv.*

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 161 राजपत्र –2026–(317)–599 प्रतियाँ (डी0टी0पी0/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 3 सा0 ऊर्जा –2026–(318)–100+500=600 प्रतियाँ (डी0टी0पी0/ऑफसेट)।

161 RPH 2026 (Urja vibhag) data 11e